

(Format of affidavit to be given on Rs. 100 Non-judicial stamp paper duty attested by oath commissioner/notary Public)

AFFIDAVIT

I, Son of and of (name of the College) aged aboutyears, resident of an the authorized signatory of the application form seeking grant of affiliation for conducting a course in Teacher Education titled an Elementary Teacher Education tiled with intake of

2. That I have read and understood the contents of the application and the same are true and correct on the basis on my personal knowledge and on the basis of records of the institution.

3. That the College is in possession of land as per the following description :-

3.1 Total Area (in Sq. Mtr.)

3.2 Address:

Village

Post office

The. & Distt.

State

Bounded by

North:

South:

East:

West:

Registered in the office of on

4. That out of the above mentioned land, the institution is in possession of minimum 2500 sq mts. (two thousand five hundred square meters) of exclusive well demarcated land for the initial intake of fifty students out of which 1500 sq mts (One thousand five hundred square meters) shall be the built up area and the remaining space for lawns, playfields etc.

5. That the land is exclusively meant for running the education institution. The entire land earmarked for the purpose of running the desired course is duly registered in the name of the institution through the society/Trust running the institution.

6. In connection with the application for grant of affiliation of BTC Course with 50 intake the applicant hereby undertake to comply with the following:-

(i) That the management has seen, studied and understood the norms and conditions stipulated by the NCTE for grant of recognition and those of state government or a body or a person authorized by it, at the time of inspection, find any deviation from the prescribed norms/standards, we will accept any unfavorable decision resulting thereof.

- (ii) That infrastructural, instructional and other facilities will be provided as per the NCTE/state Government norms, standards and guidelines prescribed from time to time.
- (iii) That admission of students satisfying the eligibility conditions will be made as per the state government policy.
- (iv) That there shall be reservation of seats for SSC/ST/OBC/Handicapped etc as per the Policy of state Government.
- (v) That admission to the course will be made only after the affiliation is granted by the State Government.
- (vi) That the supporting and other staff will be appointed as per the guidelines of the state government.
- (vii) That the tuition and other fees will be charged at rates prescribed by the state government and shall not charged donations, capitation fees, etc. from the students.
- (viii) That the academic and other staff of the institution shall be paid such salary as may be prescribed by the state Government from time to time.
- (ix) That the management shall discharge the statutory obligations relating to provident fund, pension, gratuity etc. in respect of all its employees.
- (x) That the Management will make adequate funds available for providing satisfactory facilities and for proper programme implementation.
- (xi) That the account of the institution will be properly maintained and audited annually by the audit authorities or a chartered accountant and will be open of inspection.
- (xii) That the Management will strictly follow all conditions and norms prescribed by NCTE/ State Government from time to time, conduct the programme in all earnestness and submit self to inspection by the State Government or a body or a person authorized by it as required at any time.
- (xiii) That the institution will provide a conducive atmosphere for academic and extra curricular activities and will prevent any mental and physical harassment of teachers and trainees.
- (xiv) In the event of Non- Compliance by the Society/Trust with regard to the norms and standards and any other conditions laid down/prescribed by the state government from time to time. The state government or a body or a person authorized by it will be free to inspect at any time and take all necessary measures for effecting withdrawal of its recognition for permission, without consideration of any other issue and that all liabilities arising out of such a withdrawal would society be that of the institution/management.
- (xv) That the management will not course or allow discontinuation of the course in any year or for any batch and that where compelled. It will seek the concurrence of NCTE/State Government for discontinuation on the completion of the year/batch.
- (xvi) That the course for which the affiliation is applied for is solely on self financed basis and we shall not claim any financial grant or assistance from the state Government.

I do hereby swear that my declaration under Para's (i) to (xvi) are true and correct and that it conceals nothing and that no part of this is false. In case the contents of affidavit are found to be incorrect or false. I shall be liable for action under the relevant provision of the Indian penal code and other relevant laws.

**(Signature of the authorized designated
authority giving undertaking along with
his/her official and position office seal)**

**Place
Date**

आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने वाले प्रपत्र

1. आवेदन शुल्क से संबंधित रू0 1,000/- का बैंक ड्राफ्ट।
2. प्रक्रिया शुल्क से संबंधित रू0 50,000/- का बैंक ड्राफ्ट।
3. सोसायटी/ट्रस्ट के नवीनीकरण से संबंधित अभिलेख की छायाप्रति।
4. संस्था/ट्रस्ट के बाई लॉज एवं प्रबन्ध समिति की सूची की छायाप्रति।
5. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्गत मान्यता आदेश की छायाप्रति।
6. प्राभूत कोष की छायाप्रति।
7. सुरक्षित कोष की छायाप्रति।
8. प्राभूत एवं सुरक्षित कोष का एन0सी0टी0ई0 के पक्ष में बंधकारी साक्ष्य।
9. भूमि से संबंधित स्वामित्व का अभिलेख।
10. निर्मित भवन के नक्शे की सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने का प्रमाण।
11. आवेदित पाठ्यक्रम हेतु निर्मित भवन नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुसार है अथवा नहीं के संदर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
12. अग्नि सुरक्षा के संबंध में समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत नवीनीकृत अनापत्ति प्रमाण पत्र।
13. भवन के पूर्ण होने के संबंध में स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
14. भवन को शिक्षण कार्य हेतु प्रयोग में लाए जाने हेतु स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत अनुमति पत्र।
15. एन0सी0टी0ई0 के मान्यता आदेश में उल्लिखित प्रतिबन्धों की प्रति की अद्यतन स्थिति।
16. संस्थान में अन्य संचालित शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के मान्यता/संबद्धता के आदेश।
17. संस्थान में शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अतिरिक्त संचालित पाठ्यक्रमों के मान्यता/संबद्धता के आदेश।
18. विभिन्न संचालित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्र कर्मचारियों की सूची।
19. आय एवं व्यय का गत वित्तीय वर्ष का रजिस्टर्ड चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा प्रमाणित विवरण।
20. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को मान्यता हेतु प्रेषित आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
21. संबद्धता के विषय में मा0 न्यायालय के आदेश की छायाप्रति (यदि कोई हो तो)
22. आवेदित पाठ्यक्रम (बी0टी0सी0/एन0टी0टी0) हेतु चयनित संकाय सदस्यों का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन का साक्ष्य।
23. रू0 100/- के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।

नोट – सभी संलग्नक आवेदनकर्ता द्वारा स्वप्रमाणित होने चाहिए।

कार्यालय ज्ञाप

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता के उपरान्त उ०प्र० शासन से सम्बद्धता प्राप्त डी०एल०एड० पाठ्यक्रम संचालित करने वाले निजी संस्थानों में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानक एवं मानदण्ड एवं सम्बद्धता की शर्तों की पूर्ति की जा रही है अथवा नहीं इसकी जाँच के लिये शासनादेश संख्या 85/15-11-2010 दिनांक 18.01.2010 यथासंशोधित शासनादेश दिनांक 30.09.2014 एवं शासनादेश सं० 1441/15-11-2014 दिनांक 10.09.2014 में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्बंधित जनपद के प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को अधिकृत किया जाता है। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अपने जनपद में स्थित डी०एल०एड०/डी०पी०एस०ई० पाठ्यक्रम संचालित करने वाले प्रत्येक निजी संस्थानों का समय-2 पर निरीक्षण करते रहेंगे तथा इसकी रिपोर्ट निम्नलिखित निरीक्षण प्रारूप पर अंकित करते हुए परिषद कार्यालय लखनऊ एवं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ०प्र० इलाहाबाद को प्रेषित किया जायेगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ०प्र० इलाहाबाद द्वारा निरीक्षण प्रपत्र में उपलब्ध करायी गयी आख्या का परीक्षण करते हुए कमियों की प्रतिपूर्ति हेतु सम्बंधित संस्थान को नोटिस जारी किया जायेगा-

शैक्षिक सत्र 2017-18 से डी0एल0एड0(बी0टी0सी0)/डी0पी0एस0ई0 (एन0टी0टी0)

पाठ्यक्रम संचालित करने वाले निजी संस्थानों के निरीक्षण का प्रारूप

71. निरीक्षण तिथि

2. संस्थान का नाम.....
(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)
पत्राचार का पता
.....
फोन नं0 (कोड नं0 सहित) फैक्स नं0
ई-मेल आई0डी0 वेबसाइट नं0
3. (i) सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम
पता
.....
फोन नं0 (कोड नं0 सहित) फैक्स नं0
ई-मेल आई0डी0 वेबसाइट नं0
(ii) सोसाइटी/ट्रस्ट के नवीनीकरण की अद्यतन स्थिति
(iii) सोसाइटी/ट्रस्ट का टैन (TAN) नम्बर
(iv)
4. संस्था का स्थापना वर्ष
5. (i) सम्बद्धता हेतु आवेदित पाठ्यक्रम का नाम
- (ii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदान की गयी मान्यता का विवरण
पाठ्यक्रम का नाम
मान्यता का पत्रांक एवं दिनांक
संचालित सत्र
आवंटित सीटों की संख्या
6. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये आवेदन शुल्क रू0 1,000/- एवं प्रक्रिया शुल्क रू0 50,000/- का राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट का विवरण।

ह0निरीक्षक

ह0निरीक्षक

ह0निरीक्षक

7. यदि मान्यता पत्र में कोई प्रतिबन्ध लगा है तो उसकी पूर्ति की स्थिति

8. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त करते समय जमा किये गये

(क) प्राभूत कोष के विवरण (रू० पांच लाख मात्र) की पुष्टि

एफडीआर का नम्बर एवं दिनांक

राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम

प्रारम्भिक दिनांक

एफडीआर की अवधि

(ख) सुरक्षित कोष के विवरण (रू० सात लाख मात्र) की पुष्टि

एफडीआर का नम्बर एवं दिनांक

राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम

प्रारम्भिक दिनांक

एफडीआर की अवधि

(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमानुसार एफडीआर में बंधकधारी का साक्ष्य सहित)

9. संस्थान में संचालित अन्य शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की स्थिति :-

क्र०	पाठ्यक्रम का नाम	मान्यता का पत्रांक दिनांक	अनुमन्य सीटों की संख्या	सम्बद्धता देने वाली संस्था का नाम	सम्बद्धता का पत्रांक दिनांक	पाठ्यक्रम संचालन का सत्र
1						
2						
3						
4						
5						

10. संस्थान में संचालित शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रम के संचालन की स्थिति

क्र०	पाठ्यक्रम का नाम	मान्यता देने वाली संस्थान का नाम	मान्यता का पत्रांक दिनांक	अनुमन्य सीटों की संख्या	सम्बद्धता देने वाली संस्था का नाम	सम्बद्धता का पत्रांक दिनांक	पाठ्यक्रम संचालन का सत्र
1							
2							
3							
4							
5							

ह०निरीक्षक

ह०निरीक्षक

ह०निरीक्षक

11. (i) संस्थान हेतु उपलब्ध कुल भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी में)(ii)
आवेदित पाठ्यक्रम हेतु उपलब्ध कुल भूमि का क्षेत्रफल
- (iii) वर्तमान में भूमि किसके नाम से रजिस्टर्ड है
12. (i) संस्थान हेतु उपलब्ध कुल निर्मित भवन का क्षेत्रफल (वर्ग मी में)(ii)
आवेदित पाठ्यक्रम हेतु उपलब्ध कुल निर्मित भवन का क्षेत्रफल (वर्ग मी में)
13. निर्मित भवन का नक्शा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन की स्थिति
14. भवन के पूर्ण होने के संबंध में स्थानीय निकाय के अनुमोदन पत्र जारी होने की स्थिति
15. भवन को शिक्षण कार्य हेतु प्रयोग में लाए जाने हेतु क्या स्थानीय निकाय द्वारा अनुमति प्रदान की जा चुकी है।
16. क्या भूमि एवं भवन समस्त विवादों से मुक्त है
17. उपलब्ध भौतिक संसाधनों का विवरण

क्र०	विवरण	कक्ष नं०	लम्बाई (मी०में)	चौड़ाई (मी०में)	कुल क्षेत्रफल (मी०में)
1	2	3	4	5	6
1	शिक्षण कक्ष				
	शिक्षण कक्ष				
2	बहुउद्देशीय हाल				
3	पुस्तकालय एवं वाचनालय				
4	ईटी/आईसीटी के लिए संसाधन केन्द्र				
5	मनोविज्ञान संस्थान केन्द्र				
6	कला तथा शिल्प संसाधन केन्द्र				
7	स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा संस्थान केन्द्र				
8	विज्ञान और गणित संसाधन केन्द्र				
9	प्राचार्य कक्ष				
10	कार्यालय कक्ष				
11	स्टाफ रूम				
12	स्टोर रूम				
	स्टोर रूम				
13	बालिकाओं का कामन रूम				
14	कैन्टीन				
15	अतिथि कक्ष				
16	बालक/बालिका हेतु अलग-अलग प्रसाधन सुविधा				
17	वाहन खड़ा करने का स्थान				
18	लॉन, बागवानी के क्रियाकलापों आदि के लिए खुला स्थान				
19	स्टोर रूम				
20	खेल का मैदान				

18. कर्मचारियों हेतु आवास व्यवस्था है अथवा नहीं
19. (i) भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अनुसार किया गया है अथवा नहीं

.....
(सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि करें)

- (i) संस्थान में अग्नि सुरक्षा सम्बन्धित नियमों के का पालन की स्थिति स्पष्ट
-
20. संस्थान में भवन व फर्नीचर विशिष्ट आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों (विकलांगों) के अनुकूल है अथवा नहीं।(विवरण दें)
21. छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास का विवरण

	छात्र	छात्राओं
कमरों की संख्या		
कमरों की माप-वर्ग मी० में		
प्रसाधनों की संख्या		
छात्रावास का कुल क्षेत्रफल		

22. छात्र/छात्राओं एवं स्टाफ हेतु उपलब्ध काष्ठोपकरण का विवरण

	स्टाफ हेतु	छात्रों हेतु
कुर्सियों की संख्या		
मेंजो की संख्या		

23. संस्थान में वांछनीय सुविधाओं का विवरण

क्र०	विवरण	उपलब्धता
1	सभी मौसम में पहुंच मार्ग	
2	शुद्ध पेयजल (व्यवस्था के स्वरूप सहित)	
3	जनरेटर	
4	प्राचार्य आवास	
5	फोटोकापी मशीन संख्या सहित	
6	संकाय सदस्यों के आवास की व्यवस्था	
7	अतिथि कक्ष	
8	संस्थान के चारों ओर बाउण्ड्रीवाल	

29. पुस्तकालयाध्यक्ष सहित पुस्तकालय का अन्य स्टाफ का विवरण

क्र०	नाम	पदनाम	वेतनक्रम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव	नियुक्ति तिथि	पूर्णकालिक / अंशकालिक

30. खेल उपकरणों का विवरण

.....

31. परिचालन कोष (Operational Funds) की उपलब्धता

क्र०	बैंक का नाम	खाता संख्या	नगद	एफडी आर	कुल धनराशि

32. कम्प्यूटर सुविधाओं का विवरण

क्र०	विवरण उपलब्धता	संख्या
1	कम्प्यूटरों की संख्या	
2	हार्डवेयर का विवरण	
3	लेन/देन की संख्या	
4	लीगल सॉफ्टवेयर	
5	प्रिंटर	
6	इंटरनेट	

ह०निरीक्षक

ह०निरीक्षक

ह०निरीक्षक

33. पुस्तकालीय सुविधाओं का विवरण

क्र०	विवरण	उपलब्धता/संख्या
1	पुस्तकें, जर्नल और पत्रिकाएं	
2	बच्चों की पुस्तकें	
3	श्रव्य-दृश्य सामग्री-टीवी0, ओएचपी, डीवीडी प्लेयर	
4	श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री-वीडियो श्रव्यटेप, स्लाइड फिल्में	
5	अध्यापन सहायक सामग्री, चार्ट, तस्वीरें	
6	विकासात्मक मूल्यांकन पड़ताल सूचियां और मापन साधन	
7	फोटोकॉपी मशीन	

34. अध्यापन-अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री का विवरण

.....

35. संगीत वाद्ययंत्रों का विवरण

.....

36. वित्तीय संसाधन-आय एवं व्यय का विवरण

.....

37. संस्था के समीप प्राथमिक विद्यालय जहां प्रशिक्षणार्थियों का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण कराया जा सकता है।

क्र०	प्राथमिक विद्यालय का नाम	ब्लाक का नाम	संस्था से दूरी

दर्शायी गयी सुविधाएँ वास्तव में उपलब्ध है अथवा नहीं। अध्यापक शिक्षा संस्थान के सीमांकित क्षेत्र अथवा भवन के भीतर कोई और संस्थान अथवा पाठ्यक्रम/गतिविधि संचालित नहीं है। संस्थान भवन का ढांचा और छत पक्की व स्थायी है। वीडियोग्राफी निरीक्षण पैनल के समक्ष सतत् रूप से करायी गयी है या नहीं। छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास, सामान्य इनडोर एवं आउट डोर खेलों के लिए मैदान व उपकरण की व्यवस्था के सम्बन्ध में उल्लेख किया जाए। प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध प्राथमिक विद्यालय की स्थिति और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता के समय लगाये गये प्रतिबन्धों की पूर्ति संस्था द्वारा कर लिया गया है या नहीं पूर्ण विवरण सहित अंकित किया जाय।

.....

45. अध्यापक शिक्षा संस्थान के सीमांकित क्षेत्र अथवा भवन के भीतर कोई और संस्थान अथवा पाठ्यक्रम/गतिविधि संचालित है अथवा नहीं की स्थिति
46. संस्थान के संकाय सदस्यों का सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा अनुमोदन की स्थिति हाँ अथवा नहीं। (यदि संकाय सदस्यों का अनुमोदन है तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनुमोदन पत्र व पत्रांक व दिनांक अंकित करें।)
47. एन0सी0टी0ई0 द्वारा आवेदित कोर्स बी0टी0सी0/एन0टी0टी0 हेतु निर्गत मान्यता आदेश में उल्लिखित संस्थान के पते तथा संस्थान के भूमि/भवन के वास्तविक पते में अंतर की स्थिति (हाँ/नहीं).....
48. संस्थान सम्बद्धता की समस्त निर्धारित शर्तें पूर्ण करता है अतः संबद्धता प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

अथवा

संस्थान संबद्धता की समस्त निर्धारित शर्तें पूर्ण नहीं करता है अतः संबद्धता प्रदान किये जाने हेतु असंस्तुत।

यदि असंस्तुत तो कारण एवं साक्ष्य सहित बिन्दुवार विवरण—

1.
2.
3.
4.

उपरोक्त निरीक्षण रिपोर्ट के साथ प्रत्येक बिन्दु के सम्बन्ध में निरीक्षण पैनल द्वारा हस्ताक्षरित साक्ष्य/अभिलेख संलग्न कर दिये गये हैं।

निरीक्षक का हस्ताक्षर
 नाम

निरीक्षक का हस्ताक्षर
 नाम

निरीक्षक का हस्ताक्षर
 नाम

पदनाम.....
 मोबाइल नं0

पदनाम.....
 मोबाइल नं0

पदनाम.....
 मोबाइल नं0

